भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र

डाकघर : केट
इंदौर : 452013

संदर्भ सं. 14/05/2020-GAC/Vig/ दिनांक : 25.05.2021

विषय : कर्मचारियों एवं उनके परिवारजनों के लिए कोविड–19 टीकाकरण अभियान के संबंध में.

इस कार्यालय के दिनांक 05.04.2021 के समसंख्यक परिपत्र सं. 449-452 एवं उसके बाद समय-समय पर जारी परिपत्रों जिसमें उपर्युक्त विषय पर दिनांक 24.05.2021 का परिपत्र भी शामिल है, जिसके द्वारा आरआरकेट सुरक्षा मुख्य द्वार पर लगाए गए टीकाकरण शिविर के दिनांक 27.05.2021 (गुरूवार) एवं दिनांक 29.05.2021 (शनिवार) को भी 45 वर्ष एवं उससे अधिक आयु वर्ग एवं 18 से 44 वर्ष की आयु वर्ग में आने वाले व्यक्तियों के लिए जिला प्रशासन, इंदौर द्वारा आयोजित किए जाने की सूचना दी गई थी, की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

2. ऊपर वर्णित दिनांक 24.05.2021 के परिपत्र का अधिक्रमण करते हुए यह सूचित किया जाता है कि 18 से 44 वर्ष की आयु वर्ग और 45 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के कर्मचारियों एवं उनके परिवारजनों को कोविशील्ड टीका की प्रथम खुराक दिनांक 27.05.2021 (गुरूवार), दिनांक 29.05.2021 (शनिवार) एवं बाद में अधिसूचित तिथियों पर **फिजियोथेरेपी सेंटर, आरआरकेट चिकित्सा केंद्र, आरआरकेट** में नीचे दिए गए विवरण के अनुसार दी जाएगी :

आयु वर्ग	श्रेणी	टिप्पणी
18 से 44 वर्ष	अत्यावश्यक सेवाएं देने वाले कर्मचारी।	इन व्यक्तियों के नाम उनके संबंधित प्रभाग प्रमुखों द्वारा पहले ही दिए जा चुके हैं, जो प्रशासन के पास उपलब्ध हैं। इस सूची में और नाम नहीं जोड़े जाएंगे। जिला प्रशासन के पास उपलब्ध टीका के आधार पर सूची में उपलब्ध कर्मचारियों को उनके संबंधित प्रमुखों के माध्यम से टीकाकरण के लिए रिपोर्ट करने की तिथि और समय की सूचना दी जाएगी।
18 से 44 वर्ष	अत्यावश्यक श्रेणी के अलावा अन्य लाभार्थी	जिला प्रशासन द्वारा टीकों की उपलब्धता के आधार पर टीकाकरण के दिन कर्मचारियों/ लाभार्थियों (सीएचएसएस/ गैर-सीएचएसएस लाभार्थी) को उनके सीसीसं /सीएचएसएस सं के क्रम में निम्न से उच्च सीसीसं./ सीएचएसएस सं क्रम में टीकाकरण के लिए बुलाया जाएगा।
45 वर्ष एवं उससे अधिक	इस आयु वर्ग में वे कर्मचारी/ परिवारजन (सीएचएसएस/ गैर-सीएचएसएस लाभार्थी) शामिल होंगे जिन्हें टीके की प्रथम खुराक दी जानी है।	कर्मचारियों द्वारा कु. दीपिका सिंकू से उनके मोबाइल नंबर 98202 44356 पर संपर्क करके टोकन नंबर प्राप्त किया जा सकता है। फ़ोन करने का सुविधाजनक समय सुबह 9 बजे से शाम 6.00 बजे तक है। संबंधित लाभार्थी को टीकाकरण के दिन उसकी बारी की सूचना उसे आवंटित टोकन नंबर के अनुसार तथा जिला प्रशासन द्वारा टीके की व्यवस्था के अनुसार दी जाएगी ।

3. सभी कर्मचारियों/परिवार के सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपना विवरण एक अलग पर्ची पर लिख कर लाएं जिसके आधार पर टोकन नंबर आवंटित किए जाएँगे। टीकाकरण के दिन कर्मचारियों को सीसीनं./सीएचएसएस नं.

(निम्न से उच्च) के अनुसार क्रमिक रूप से बुलाया जाएगा। यही तरीका **“अत्यावश्यक सेवाएं” देने वाले कर्मचारियों एवं 45 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के कर्मचारियों** के लिए भी लागू होगा।

कर्मचारी/लाभार्थी का नाम	श्रेणी (आयु वर्ग)		सी.सी.सं./ सीएचएसएस सं.	मोबाइल नंबर	आधार नंबर	आरोग्य सेतु एप/ Cowin.gov.in पर जनरेटेड कोविन सीक्रेट कोड (लाल रंग में अंतिम 04 संख्या)
	18-44	45 एवं उससे अधिक				

4. चूंकि जिला प्रशासन द्वारा आरआरकेट कॉलोनी को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है, आरआरकेट कॉलोनी के बाहर रहने वाले कर्मचारियों/लाभार्थियों को टीकाकरण के लिए आरआरकेट कॉलोनी में प्रवेश की अनुमति केवल टीकाकरण के दिन मेलऑल/एससीआर ग्रुप/सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रचालित सूची के अनुसार दी जाएगी। उनके प्रवेश की सुविधा के लिए सुरक्षा मुख्य द्वार पर दिनवार सूची भी उपलब्ध कराई जाएगी।

5. जिला प्रशासन द्वारा प्रतिदिन के हिसाब से आपूर्ति किए गए टीके यदि उपलब्ध हों तो लाभार्थियों को निर्धारित संख्या से अधिक बुलाया जा सकता है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी टीका बर्बाद न हो और जिला प्रशासन को वापस न करना पड़े । यदि किसी निश्चित दिन बुलाए गए व्यक्तियों का टीकाकरण उस दिन नहीं हो पाया है, तो उन्हें अगले दिन पहले से जनरेटेड टोकन नंबरों के संदर्भ में अन्य लोगों की तुलना में टीकाकरण में प्राथमिकता दी जाएगी।

6. चूंकि जिला प्रशासन द्वारा टीकाकरण अभियान इस केंद्र की सहायता से चलाया जा रहा है, आरआरकेट के सभी कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों से अनुरोध है कि वे संबंधित प्रयोगशाला/अनुभाग/प्रभाग प्रमुखों के परामर्श से प्रतिदिन अपडेट देखें। प्रशासनिक स्तर पर अचानक और अप्रत्याशित परिवर्तन के कारण से यदि कोई असुविधा होती है तो उसमें सहयोग अपेक्षित है। इस कल्याणकारी कार्य को सफल बनाने के लिए सभी से सहयोग का अनुरोध किया जाता है।

7. कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त बिंदुओं के अलावा दिनांक 05.04.2021 और दिनांक 23.05.2021 को जारी परिपत्रों की सभी अंतर्वस्तु का सभी कर्मचारियों/लाभार्थियों द्वारा कड़ाई से अनुपालन किया जाए।

यह निदेशक, आरआरकेट के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

26.05.21
(एस.एस. गोंडाणे)
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

मेलऑल के माध्यम से सभी कर्मचारी

सूचनार्थ प्रतिलिपि :

1. निदेशक कार्यालय, आरआरकेट
2. सभी वर्ग निदेशक/कार्यात्मक प्रमुख/प्रभाग प्रमुख, आरआरकेट
3. सभी चिकित्सा अधिकारी, आरएमसी, आरआरकेट
4. उप मुख्य सुरक्षा अधिकारी, आरआरकेट
5. उप कमांडेंट, केंऔसुब इकाई, आरआरकेट
6. जन-सम्पर्क अधिकारी, आरआरकेट